कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/429 दिनांक 22-1-2021

शा०वि० fow 16/2/2021

प्रेषिति :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव भेजने बाबत्।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक : रीडर/कोर्ट/2020/1493
दिनांक 14-12-20 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि आपके न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 77/2019 इकबाल खां बनाम उमराव ~~खां~~ वगैरह में प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना व आपके आदेश क्रमांक 1493 दिनांक 14-12-20 की पालना में प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार हो चुका है, अत: इस पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दो प्रतियों श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है

अत: आपके न्यायालय के रा.वा.सं. 77/2019 की पालना उचित कार्यवाही बाबत् सादर प्रेषित है।

संलग्न :- मौका पर्चा प्राथमिक डिक्री
दो प्रतियों में।

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

मौका पर्चा प्राथमिक डिक्री

श्रीमान् तहसीलदार (भू.अ.) जायल के आदेश क्रमांक/भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2020/3660 दिनांक 18/12/2020 की अनुपालना में आज दिनांक 18/01/2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-जायल (नागौर) के राजस्व वाद सं. 77/2019 में जारी प्राथमिक डिक्री नि.दि. 02.11.2020 के तहत मौजा बरनेल के खसरा सं. 476 रकबा 1.4892 हैक्टयर किस्म बारानी 2 व खसरा सं. 491 रकबा 2.2420 हैक्टयर किस्म बारानी-2 का मौका मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार करने हेतु भू.अ.नि. जायल व हल्का पटवारी बरनेल मौके पर उपस्थित हुए।

प्राथमिक डिक्री अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जायल द्वारा दिनांक 18/01/2021 को ख.नं. 476 व 491 के मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय जरिये नोटिस उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया।

मौके पर आज दिनांक 18/01/2021 को वादीगण में इकबाल खां व लोडू खां के वारिस कासमदीन, मुनीरखां, अमीर दीन, मोमा, रेहाना, आबिदा प्रतिवादीगण में उमराव, रोशन, अमीन, बाला, फोलू खां, गनी खां व खातून उपस्थित रहे। वादी लोडू खां की मृत्यु दि. 08/12/2020 को हो चुकी है व उनकी पत्नी जेतून की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मौके पर लोडू खां वारिसान ने मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत बरनेल द्वारा जारी प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये।

मौजा बरनेल के खसरा सं 476 रकबा 1.4892 हैक्टयर किस्म बारानी-2 व ख.सं. 491 रकबा 2.2420 हेक्टयर किस्म बारानी-2 की वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार उमराव हि 1/72 बाला हि 1/72, मोहम्मद बक्श हि 1/6 लोडू खां 1/6 अहमद हि 1/72 इस्माईल 1/9 अमीन 1/72 लोडू खां पुत्र शमश खां हि 1/3 इकबाल खां 1/18 व पीरखां हि 1/9 के नाम है।

[signature] [signature]
LLR [illegible]
18/01/2021

मौजा बनेल के खसरा सं. 476 व 491 का विभाजन नक्शा नि

नजरी नक्शानुसार है :-

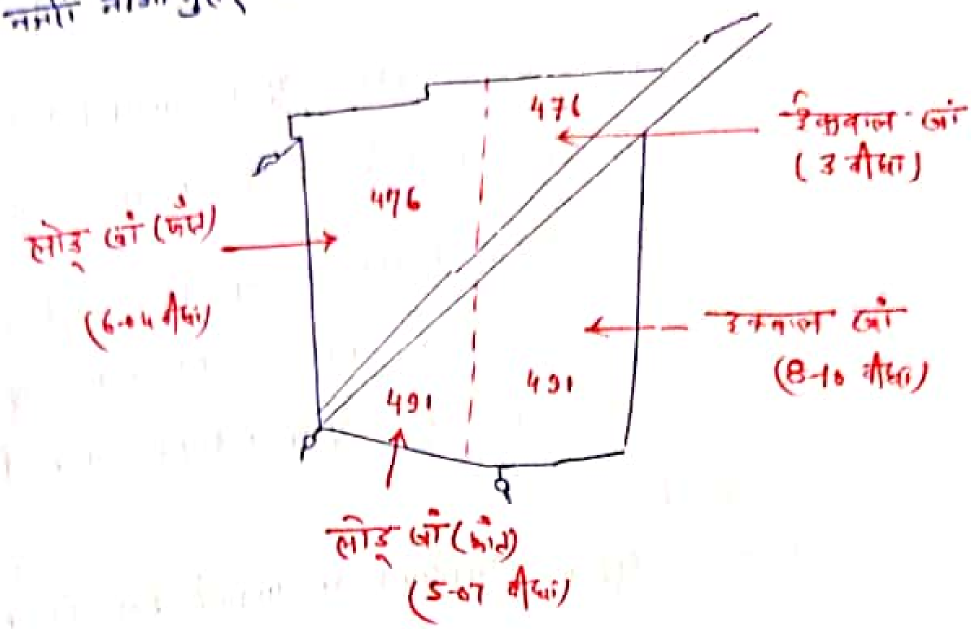

(1) वादी सं 1 (रिकवाल खां) के बंट व कब्जा कास्त में नजरी नक्शानुसार मौजा
के खसरा सं 476 रकबा 9.04 बीघा (1.4892 है.) मे से पूर्वी 3 बीघा
व खसरा सं. 491 रकबा 2.2420 हैक्टेयर (1317 बीघा) मे से पूर्वी
(8.10 बीघा) है।

(2) वादी सं. 2 लोडू खां (फौज) के वारिसान के बंट व कब्जा कास्त में
बनेल के खसरा सं. 476 रकबा 9.04 बीघा (1.4892 है.) मे से पश्चि
6.04 बीघा (1.0036 है.) व ख.नं. 491 रकबा 1317 बीघा (2.242
पश्चिमी 5.07 बीघा (0.8660 है.) है।

(3) वादी सं 1 व 2 दोनो के विभाजित खसरों में आने जाने
मौजा बनेल का ख.नं. 479 गै.मु. रास्ता लगता है अतः
रास्ते की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रतिवादीगण 1 से 6 के बंट में कोई हिस्सा नहीं रखना चाहते है। P.T.O.

LLR
18/11/2021

Scanned with CamScanner

मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा मैप का फर्द सुनाया गया। उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये :-

वादी	हस्ताक्षर	प्रतिवादी	हस्ताक्षर
(1) इकबाल खाँ	ल.नि. इकबाल खां	(1) उमराव	
(2) लाडू खाँ उ. वकील खान		(2) रोशन	रोशन खान
(1) अमीदीन	अमीदीन	(3) अमीन	अमीन
(2) कासमदीन	ल.नि. कासमदीन	(4) बाला	
(3) मुनीर खाँ →	मनीरखा	(5) ढोलू खाँ	
(4) मोम्ना रईसा	ल.नि. रईसा	(6) गनी खाँ	
(5) ऐमन	ल.नि. आसिया	(7) जाहून	
(6) आसिया			

वादी व प्रतिवादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सहमत है।

21.01.2021
तहसीलदार (मुख्या.)
जायल

18/01/2021
पटवारी: ...

आर. छोकरवा
18/01/2021

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 77/2019

वादीगण –

1. इकबालखां पुत्र गुलाबखां
2. लोडूखां पुत्र नानूखा के कायम मुकाम –
   1. अमीरदीन पुत्र लोडूखां
   2. कासमखां पुत्र लोडूखां
   3. मुनीरखां पुत्र लोडूखां
   4. रहीस्या पुत्री लोडूखां
   5. अमेना पुत्री लोडूखां
   6. आसिया पुत्री लोडूखां

   जातियान–शेरानी निवासीगण–शेरानियों की ढाणी बरनेल, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. उमराव पुत्र बैवा लालखां
2. अहमद पुत्र लालखां (फौत) के कायम मुकाम
   1. रोशन अली पुत्री अहमद
3. अमीन पुत्र लालखां
4. बाला पुत्री लालखां
5. पीरूखां उर्फ मनोहरखां पुत्र ताजू खां (फौत) के कायम मुकाम
   1. धोलू खां पुत्र पीरूखां उर्फ मनोहर खां
   2. गनी खां पुत्र पीरूखां उर्फ मनोहर खां

   जातियान–शेरानी निवासीगण–शेरानियों की ढाणी बरनेल तह. जायल
6. मोहम्मद बक्स पुत्र नानूखां (फौत) के कायम मुकाम
   1. खातूल पत्नि मोहम्मद बक्स जाति–शेरानी निवासी शेरानियों की ढाणी बरनेल तहसील जायल
7. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

16/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक : 16/02/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 आपस में एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पुश्तैनी बडेर के खेत मौजा बरनेल तहसील जायल में खसरा नं. 476, 491 के रूप में स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क,ख) के अनुसार कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 28.08.2019 को जरिये अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालात नामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया, जो साबिका आदेश 20.08.2020 को पत्रावली पर लिया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वाद पत्र के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह इकबालखां व उमराव खां के पेश हुये। नकल जमाबन्दी ग्राम–बरनेल तहसील–जायल सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 123/115 प्रदर्श–1 मृत्यु प्रमाण पत्र लोडूखां की छायाप्रति प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र इब्राहिमखां की छायाप्रति प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र मनोहरखां की छायाप्रति प्रदर्श–4, एवं इबराहिमखां,

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

लोडूखां के ग्राम पंचायत बरनेल द्वारा जारी उतराधिकार प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां पेश की। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा जरिये इकबालिया जवाब दावा के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वाद पत्र को जरिये इकबालिया जवाब स्वीकार किया गया है तथा पक्षकारान के मध्य ग्राम बरनेल तहसील–जायल के खसरा नं. 476, 491 की भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का वाद पत्र के पैराज अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन किया।

वादीगण के वादपत्र के संबंध में प्रस्तुत जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब का अवलोकन किया। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने होते है। जो पत्रावली में जमाबंदी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण पक्षकारान के रूप में संयोजित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ख) के अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त करने पर वादग्रस्त खेताय ग्राम बरनेल तहसील जायल के खसरा नं. 476 व 491 की भूमि का हिस्सा विशेष बंटवारा चाहे जाने जो

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री कर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल से प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 02.11.2020 को पारीत किये गये।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 02.11.2020 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 429 दिनांक 21.01.2021 प्राप्त हुआ, जिसमें वादी संख्या 2 के फौत होना बताया गया है। जिसपर वकुलाय को सुना गया। वादी संख्या 2 के फौत होने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम-3 सी0पी0सी0 का पेश किया। जो स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शिर्षक पेश किया जो सामिल मिसल है। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर तैयार किया गया है। तहसीलदार जायल ने बंटवारा प्रस्ताव में बताया है कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 मौके पर उपस्थित हुये साथ ही बंटवारा प्रस्ताव में अंकित किया कि वादी संख्या 2 दिनांक 08.02.2020 व उसकी पत्नी जेतुन भी लगभगर 15 वर्ष फौत हो चुके है जिनके वारिसान मौके पर उपस्थित हुये। जिन्होने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा अंगठा निशान/हस्ताक्षर कर रखे है। इसी प्रकार प्रतिवदी संख्या 1 से 6 के हक हिस्से में किसी प्रकार हक बंट की भूमि इत्यादि नहीं मुतदाविया खेताया में से नही रखी है तथा ना ही इनके हक बंट में अन्य भूमि रखे जाने के दस्तावेज पेश किये है। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक हिस्से की भूमि का अन्तरण का भी प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा स्कीम प्रस्ताव दिनांक 21.01.2021 के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक हिस्से की भूमि का अन्तरण हेतु नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा पर स्वीकार किया जाना तथा इसी माफिक वाद को वकुलाय की सहमति पर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है –

1. वादी इकबालखां के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में माफिक नजरी नक्शानुसार मौजा बरनेल तहसील–जायल के खसरा नं. 476 रकबा 1.4892 हैक्टेयर में से पूर्वी भाग 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नं. 491 रकबा 2.2420 हैक्टैयर में से 1.3759 पूर्वी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में प्राप्त नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 लोडूखां(फौत) के वारिसान् अमरदीन पुत्र लोडूखां, कासमदीन पुत्र लोडूखां, मुनीरखा पुत्र लोडूखां, रहीसा, ऐमन व आसियां पुत्रियां लोडूखां, के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा बरनेल के खसरा नं. 476 रकबा 1.4892 हैक्टेयर में से 1.0036 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नं. 491 रकबा 2.2420 हैक्टैयर में से 0.8660 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में प्राप्त नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 मुतदाविया खेतायों में हिस्सा नहीं रखा है इनके हक हिस्से की भूमि का नियमानुसार देय अन्तरण स्टाम्प शुल्क जमा होने के बाद तहसीलदार जायल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

16/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण –

राजस्व वाद संख्या : 77/2019

1. इकबालखां पुत्र गुलाबखां
2. लोडूखां पुत्र नानूखां

जातियान–शेरानी निवासीगण–शेरानियों की ढाणी बरनेल, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. उमराव पुत्र बैवा लालखां
2. अहमद पुत्र लालखां (फौत) के कायम मुकाम
   1. रोशन अली पुत्री अहमद
3. अमीन पुत्र लालखां
4. बाला पुत्री लालखां
5. पीरूखां उर्फ मनोहरखां पुत्र ताजू खां (फौत) के कायम मुकाम
   1. धोलू खां पुत्र पीरूखां उर्फ मनोहर खां
   2. गनी खां पुत्र पीरूखां उर्फ मनोहर खां

   जातियान–शेरानी निवासीगण–शेरानियों की ढाणी बरनेल तह. जायल
6. मोहम्मद बक्स पुत्र नानूखां (फौत) के कायम मुकाम
   1. खातूल पत्नि मोहम्मद बक्स जाति–शेरानी निवासी शेरानियों की ढाणी बरनेल तहसील जायल
7. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

16/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तईं रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

यत् वादी का वाद धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 माफिक प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) के स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है –

4. वादी इकबालखां के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में माफिक नजरी नक्शानुसार मौजा बरनेल तहसील–जायल के खसरा नं. 476 रकबा 1.4892 हैक्टेयर में से पूर्वी भाग 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नं. 491 रकबा 2.2420 हैक्टैयर में से 1.3759 पूर्वी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में प्राप्त नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।
5. वादी संख्या 2 लोडूखां(फौत) के वारिसान् अमरदीन पुत्र लोडूखां, कासमदीन पुत्र लोडूखां, मुनीरखा पुत्र लोडूखां, रहीसा, ऐमन व आसियां पुत्रियां लोडूखां, के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा बरनेल के खसरा नं. 476 रकबा 1.4892 हैक्टेयर में से 1.0036 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नं. 491 रकबा 2.2420 हैक्टैयर में से 0.8660 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में प्राप्त नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा मुतदाविया खेतायों में हिस्सा नहीं रखा है अतः मुतदाविया खेतायों की भूमि में इनके हक हिस्से की भूमि नियमानुसार देय अन्तरण स्टाम्प शुल्क जमा कराने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार जायल द्वारा सम्पादित की जावे। तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/07/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलवाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

16/07/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner